ग्रामीण पशुपालन निगम लिमिटेड

कॉपोर्रेट ऑफिस – एफ 126, सिने स्टार विद्याधर नगर जयपुर राज. 302039

पशुपालक सेवा केन्द्र संचालन हेतु पशुपालन कार्यकर्ता चयन हेतु

–: आवश्यकता :–

ग्रामीण पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा भारत के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर पशुपालक सेवा केन्द्र संचालन हेतु पशुपालन कार्यकर्ताओं का चयन प्रस्तावित है। उक्त सभी केन्दों का संचालन निगम में चयनित पशुपालन कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जावेगा। निगम द्वारा संचालित पशुपालक सेवा केन्द्रों पर निगम द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता युक्त पशु उत्पादों को उचित मूल्य पर पशुपालकों को विक्रय किया जायेगा।

उक्त पशुपालक सेवा केन्द्र पूर्णतः ग्रामीण पशुपालन निगम के अधीन संचालित होगे अर्थात पशुपालक सेवा केन्द्रों पर पूर्णतः निगम का स्वामित्व रहेगा।

पशुपालक सेवा केन्द्र संचालन हेतु स्थानिय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक कर्मठ एवं योग्य युवक एवं युवतियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है।

<u>आवेदन का तरीका :</u>

1. इच्छुक अभ्यार्थी निगम की अधिकृत वेबसाइट www.graminpashupalan.com पर Login कर Apply Online पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भर सकते है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही गइ सभी वांछित सूचना अंकित करे। आवेदन पत्र लॉनलाइन भरने से पूर्व विज्ञापन एवं निगम को कार्य प्रणाली को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझे लें। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी भरने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

श्रेणी हेतु सूचना :

क्रं. सं.	श्रेणी का नाम	मासिक वेतन
1.	फील्ड ऑफिसर	20,000 / – यात्रा भत्ता अतिरिक्त
2.	सहायक फील्ड ऑफिसर	18,000 / – यात्रा भत्ता अतिरिक्त
3.	पशुपालन कार्यकर्ता	16,000 / – (दुकान किराया अतिरिक्त)

<u>नोट</u> – चयनित अभ्यार्थीयों को मासिक वेतन लक्ष्यानुसार कार्य करने पर देय होगा। लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन में अनुपातिक कटौती का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

<u>निगम द्वारा देय यात्रा भत्ता</u> – निगम में चयनित फील्ड ऑफिसर एवं सहायक फील्ड ऑफिसर को लक्ष्यानुसार कार्य पूर्ण करने पर निगम द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता देय होगा।

<u>पशुपालन कार्यकर्ता हेतु लाभ</u> – निगम द्वारा संचालित पशुपालक सेवा केन्द्र संचालन हेतु केन्द्र का किराया निगम द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार देय होगा।

चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता

क्रं. सं.	श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता
1.	फील्ड ऑफिसर	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी संकाय में स्नातक।
2.	सहायक फील्ड ऑफिसर	भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से किसी भी संकाय में 10 + 2 उत्तीण।
3.	पशुपालन कार्यकर्ता	भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से किसी भी संकाय में 10 वीं उत्तीर्ण।

विशेष – उपयुक्त योग्यता रखने वाले युवक/युवतियां निगम में कार्य करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। चयनित अभ्यार्थी को निगम में अभ्यार्थी द्वारा चाहे गये क्षेत्र में कार्य करने का अवसर दिया जायेगा।

श्रेणी हेतु कार्य क्षेत्र

क्रं. सं.	श्रेणी	कार्यक्षेत्र
1.	फील्ड ऑफिसर	जिला स्तर
2.	सहायक फील्ड ऑफिसर	तहसील स्तर
3.	पशुपालन कार्यकर्ता	ग्राम पंचायत स्तर

चयन हेतु आयु सीमा

क्रं. सं.	श्रेणी	आयु सीमा (वर्षो में)
1.	फील्ड ऑफिसर	25–40 वष
2.	सहायक फील्ड ऑफिसर	21–40 वष
3.	पशुपालन कार्यकर्ता	18–40 वष

आवेदन शुल्क

क्रं. सं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1.	फील्ड ऑफिसर	1025 रूपये/–
2.	सहायक फील्ड ऑफिसर	825 रूपये/–
3.	पशुपालन कार्यकर्ता	625 रूपये/–

*भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% GST शामिल है।

*सभी श्रेणी हेतु आवेदन शुल्क लागू है।

*आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय है, अर्थात वापसी देय नहीं है।

<u>श्रेणी हेतु कार्य दायित्व</u>

1. फील्ड ऑफिसर

- फील्ड ऑफिसर का मुख्य कार्य जिले में संचालित पशुपालक सेवा केन्द्रों पर पूर्णतः नियन्त्रण रखना है।
- निगम द्वारा संचालित पशुपालक सेवा केन्द्रों पर निगम द्वारा उत्पादित उत्पादों की लक्ष्यानुसार बिक्री सुनिश्चित करना।
- आवश्यकतानुसार उत्पाद बिक्री हेतु पशुपालक सेवा केन्दों का संचालन करना।
- निगम द्वारा उत्पादित पशु उत्पादों का प्रचार – प्रसार जिले स्तर पर पशुपालकों को करना।
- निगम द्वारा जिले में संचालित सभी पशुपालक सेवा केन्द्रों का कुल बिक्री लक्ष्य प्रतिमाह **500 टन** निर्धारित है।

  उक्त लक्ष्य फील्ड ऑफिसर श्रेणी हेतु निर्धारित है।

2. सहायक फील्ड ऑफिसर

- सहायक फील्ड ऑफिसर द्वारा तहसील में स्थापित सभी पशुपालक सेवा केन्दों का संचालन एव बिक्री लक्ष्य
- सुनिश्चित करना।
- तहसील स्तर पर संचालित पशुपालक सेवा केन्द्रों पर पशुपालकों को निगम उत्पाद बिक्री हेतु प्रेरित करना।
- तहसील स्तर पर स्थापित डेयरी फार्मो की सूची बनाकर निगम उत्पाद बिक्री सुनिश्चित करना।
- सहायक फील्ड ऑफिसर द्वारा तहसील स्तर पर संचालित सभी पशुपालक सेवा केन्द्रों का मासिक लक्ष्य **100 टन** प्रतिमाह निर्धारित है।

3. पशुपालन कार्यकर्ता

- निगम द्वारा ग्राम पंचायत में संचालित पशुपालक सेवा केन्द्र का सफलतापूर्वक संचालन करना।
- ग्राम पंचायत पर पशुपालकों की सूची तैयार कर निगम के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर पशुपालन कार्यकर्ता का मासिक बिक्री लक्ष्य **25 टन** प्रतिमाह है।

चयन प्रक्रिया :

1. निगम द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर आवेदन पत्र प्राप्ति की सूचना आवेदनकर्ता की अधिकृत **Mail Id** पर भेजी जायेगी।
2. चयनित अभ्यार्थीयों को कार्य करने सम्बन्धी घोषणा पत्र अभ्यार्थी की रजिस्टर्ड **Mail Id** पर भेजा जायेगा। उक्त घोषणा पत्र को अभ्यार्थी द्वारा **100/–** नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित करवाकर निर्धारित अंतिम तिथि तक निगम कार्यलय में रजिस्टड डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा।
3. जिन अभ्याथियों के घोषणा पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक कायालय को प्राप्त नहीं होगे, ऐसे अभ्यार्थियों का साक्षात्कार में नहीं बुलाया जायेगा।

सामान्य जानकारी :

1. ग्रामीण पशुपालन निगम लिमिटेड भारत सरकार के कॉर्पोरेट मत्रांलय के अधीन कार्यरत कम्पनी रजिस्ट्रार जयपुर द्वारा निगमित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है। जिसका निगमन क्रमांक **U01110RJ2017PLC058322** है। निगम का मुख्य कार्य पशु उत्पाद एवं पूरक पशु आहार का उत्पादन कर सम्पूर्ण भारत में बिक्री हेतु उपलब्ध करवाना है।
2. निगम के बारे में अधिक जानकारी हेतु निगम की अधिकृत वेबसाइट www.graminpashupalan.com पर लॉगिन करे।
3. निगम का कार्यालय समय सोमवार सबुह 10 बजे से शुक्रवार शाम 5 बजे तक रहेगा। शनिवार एवं रविवार कार्यालय अवकाश रहेगा।
4. निगम की अधिकृत हेल्पलाइन न0 **9772629772** सोमवार से शुक्रवार तक कार्य करेगी।
5. आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय है अर्थात वापसी देय नहीं है।
6. किसी भी श्रणी हेतु आवेदन को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। इस हेतु आवेदनकर्ता की कोई आपत्तिमान्य नहीं होगी।
7. अपूर्ण या गलत जानकारी भरे जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें जिनकी सूचना आवेदनकर्ता की **Mail Id** पर भेज दी जायेगी।
8. उपरोक्त आवश्यकता में सभी सूचनायें निगम द्वारा डाक अथवा **E-Mail** के माध्यम से आवेदनकर्ता को भेजी जायेगी। अतः आवदेनकर्ता अपना डाक का पता एवं **E-Mail Id** साफ–साफ लिखें।

ट्रांसपाट सम्बन्धित नियम :

1. निगम के उत्पाद का ट्रांसपोर्ट खर्चा निगम द्वारा वहन किया जायेगा।
2. निगम द्वारा किसी भी प्रकार की सुरक्षा राशि नहीं ली जायेगी।
3. निगम द्वारा पशुपालक सेवा केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने पश्चात् ही पशुपालक सेवा केन्द्र का आंवटन किया जावेगा।

अधिक जानकारी हेतु सर्म्पक करं

ग्रामीण पशुपालन निगम लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय – एफ 126, सिन स्टार, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान 302039

उत्पादन इकाई प्रथम – P.L. No. 1, गोविन्दगढ़ औद्योगिक क्षेत्र फेज–2, गोविन्दगढ़, चौमू, जयपुर, राजस्थान 303712

Helpline Number : 9772629772

Website : www.graminpashupalan.com

E-Mail : graminpashupalan@gmail.com